न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
61/2019	29.11.2019	16.01.2026

बउनवान

1. इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख जाति अहीर निवासी नत्थू की ढाणी (फोत)
1/1 नरेश कुमार पुत्र इन्द्रसिंह
1/2 लालचन्द पुत्र इन्द्रसिंह
1/3 सुमन पुत्री इन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी नत्थू की ढाणी गादूवास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराजी खाता संख्या 57, 427, 119, 120, 123 में दर्ज आराजी खसरा नम्बरान वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर में स्थित है।
2. यह है कि मिन वादी का नाम गॉव में इन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल, होशियार सिंह पुत्र रिछपाल, हुंसि पुत्र रिछपाल तथा इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख व होशियार सिंह पुत्र दल्लूराम के नाम से जाना जाता है।
3. यह है कि उक्त सभी नामो का व्यक्ति का मिन वादी ही हैं जिसका असली नाम इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख है।
4. यह है कि मिन वादी के बोतला नाम होने के कारण जमाबन्दीयात में भी अलग अलग नाम का अंकन कर दिया गया हैं जबकी मिन वादी का आधार कार्ड से सही नाम इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल का अंकन हो रहा है। मिन वादी का अलग अलग राजस्व रिकोर्ड में होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड रही है। मिन वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, ऋण आदि लेने व कृषि संबंधित दस्तावेजात तैयार कराते समय नामो को अलग अलग रहने से नापूर्ति होने वाली क्षति का सामना करना पड रहा है।
5. यह है कि मिन वादी का परिवार ग्रामीण परिवेश में रहने वाला हैं जिनको कानून की जानकारी नही है तथा हल्का पटवारी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दीयात तैयार करते समय बोलते नाम बताने से वही नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गया है। जिसे मिन वादी दुरूस्त करना चाहता है।

6. यह है कि राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी का हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का है तथा मिन वादी के हिस्से से दीगर व्यक्ति का कोई सम्बध वो सरोकार भी नही है लेकिन नाम के अलग अलग रहने से मिन वादी को काफी परेशानी हा सामना करना पड रहा है।

7. यह है कि मिन वादी को राजस्व रिकोर्ड की आवश्यक हुई जिस पर हल्का पटवारी से नकले लेने गया तो हल्का पटवारी ने रिकोर्ड देख कर बताया क आपका नाम राजस्व रिकोर्ड में अलग अलग दर्ज हो रहा है। इसलिए नाम दुरूस्त करना पडेगा। जिस पर समस्त नकूलात हासिल कर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर से दिनांक 23.02.2019 को नाम शुद्वीकरण कराने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने स्पष्ट इन्कार कर दिया व कहा की अदालत से आदेश कराओ उसके बाद शुद्वीकरण होगा इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है। जो अन्दर मियाद पेश है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अ. यह है कि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज आराजीयात खाता संख्या 57, 427, 119, 120, 123 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर में स्थित हैं जिसमें मिन वादी का नाम कही इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल, होशियार पुत्र दल्लूराम, होशियार पुत्र दिल्ली, टेसी पुत्र दिलसुख दर्ज है। जिसको हजफ कर उक्त राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी का सही नाम इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

ब. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदात मुनासिब समझे बख्शी जावें।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :–

1. ग्राम गादुवास के खाता संख्या 470 में होशियारसिंह पुत्र दल्लूराम जाति–अहीर, खाता संख्या 57 में इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल, खाता संख्या 129 में टेसी पुत्री दिलसुख हिस्सा 1/56 तथा होशियार पुत्र दिल्लू हिस्सा 1/56, खाता संख्या 130 में टेसी पुत्री दिलसुख हिस्सा 1/56 तथा होशियार पुत्र दिल्लू हिस्सा 1/56, खाता संख्या 131 में टेसी पुत्री दिलसुख हिस्सा 1/56 तथा होशियार पुत्र दिल्लू हिस्सा 1/56 जाति –अहीर दर्ज रिकॉर्ड है।

2. प्रार्थी उक्त खातों में उक्त सभी नामों के स्थान पर अपना सही नाम इन्द्रसिंह पुत्र दल्लूराम उर्फ रिछपाल दर्ज करवाना चाहता है। संलग्न बैंक की पासबुक, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह पुत्र दल्लूराम दर्ज है व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न आधार कार्ड की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल दर्ज है व मृत्यु–प्रमाण पत्र में इन्द्रसिंह पुत्र दल्लूराम उर्फ रिछपाल दर्ज है।

3. ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि उपरोक्त सभी खातों में दर्ज उक्त सभी नाम इन्द्रसिंह पुत्र दल्लूराम उर्फ रिछपाल के ही हैं। उपरोक्त नामों के कोई अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गादुवास के खाता संख्या 470, 57, 129, 130, 131 में प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह पुत्र दल्लूराम उर्फ रिछपाल किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन प्रदर्श–1 ग्राम पंचायत गादूवास सरपंच का शपथ पत्र (लेटर पैड), प्रदर्श–2 इन्तकाल संख्या 97, प्रदर्श–3 सम्वत 2069–72, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 1990, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2001, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 1997 पेश किया।

संक्षिप्त बहस प्रार्थी

नाम की त्रुटि मात्र तकनीकी है :–

प्रार्थी के पिता के राजस्व रिकॉर्ड में विभिन्न खातों में अलग–अलग नाम (इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल/इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख/होशियार पुत्र दल्लूराम/टेसी पुत्री दिलसुख आदि) अंकित हैं, जबकि वस्तुतः यह सभी नाम एक ही व्यक्ति के प्रचलित/बोलचाल के नाम हैं। ग्रामवासियों की पूछताछ तथा पटवारी रिपोर्ट से भी यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो चुका है।

पहचान के प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध हैं

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र आदि से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख उर्फ रिछपाल है। किसी भी दस्तावेज से यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त नामों के कोई अलग–अलग व्यक्ति अस्तित्व में हैं।

अप्रार्थी का जवाब प्रार्थी के पक्ष में

स्वयं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि संबंधित सभी खातों में दर्ज नाम एक ही व्यक्ति के हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण की अनुशंसा की गई है। अतः विवाद तथ्यात्मक न होकर केवल नाम की शुद्धता का है।

किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं

प्रार्थी का खातेदारी/कब्जा निर्विवाद है तथा नाम शुद्धिकरण से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार, हित या हिस्से पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह केवल रिकॉर्ड को सही व अद्यतन करने का विषय है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

कानूनी प्रावधान के अंतर्गत शुद्धिकरण न्यायसंगत
भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों का सुधार किया जाना विधिसम्मत है, विशेषकर जब त्रुटि अनजाने में हुई हो और उसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

निष्कर्ष :–
उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों, पटवारी रिपोर्ट तथा अप्रार्थी के उत्तर के आलोक में प्रार्थी का दावा पूर्णतः प्रमाणित है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर स्थित खाता संख्या 57, 427, 119, 120, 123 (एवं संबंधित खातों) में दर्ज विभिन्न नामों को हटाकर प्रार्थी के पिता का सही नाम इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख (उर्फ रिछपाल) दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाएँ तथा अन्य उपयुक्त राहत भी प्रदान की जाए।

संक्षिप्त विवेचन
यह प्रकरण प्रार्थी के पिता इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख उर्फ रिछपाल द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में नाम शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि ग्राम गादूवास, तहसील मुण्डावर स्थित विभिन्न खातों व खसरों में उसके पिता का नाम अलग–अलग रूपों में दर्ज हो गया है, जैसे इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल, इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख, होशियार पुत्र दल्लूराम, टेसी पुत्री दिलसुख आदि, जबकि वास्तव में यह सभी नाम एक ही व्यक्ति के प्रचलित/बोलचाल के नाम हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा ग्राम पंचायत सरपंच का शपथ–पत्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख उर्फ रिछपाल है। नामों में यह भिन्नता ग्रामीण परिवेश में बोलचाल के नामों के कारण तथा जमाबन्दी तैयार करते समय अनजाने में हुई त्रुटि के कारण हुई है।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित खातों में दर्ज सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं और कोई भिन्न या अलग व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नाम शुद्धिकरण की अनुशंसा की गई है।

यह भी तथ्य स्थापित है कि नाम शुद्धिकरण से किसी तृतीय पक्ष के अधिकार, हित या खातेदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा प्रार्थी का कब्जा व खातेदारी निर्विवाद है। अतः यह मामला किसी स्वत्व विवाद का न होकर मात्र राजस्व रिकॉर्ड की तकनीकी त्रुटि के सुधार का है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार, उपलब्ध साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम सही रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नाम शुद्धिकरण का आदेश पारित किया जाना उचित है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि ग्राम गादूवास, तहसील मुण्डावर स्थित खाता संख्या 57, 427, 119, 120, 123 (तथा संबंधित खातों) में जहाँ-जहाँ प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्रसिंह पुत्र रिछपाल/इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख/होशियार पुत्र दल्लूराम /टेसी पुत्री दिलसुख आदि रूपों में दर्ज है, उसे हजफ कर प्रार्थी के पिता का सही नाम "इन्द्रसिंह पुत्र दिलसुख उर्फ रिछपाल" दर्ज किया जाए। तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की पालना करते हुए आवश्यक संशोधन नियमानुसार अभिलेखों में अंकित करें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)